रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1981/आषाढ़ 5, 1903
No. 281] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1981/ASADHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 1981

का० आ० 513 (अ)—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 445 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/72 तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आंध्र सांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त आदेश में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने 26 जून, 1977 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया था और उक्त आदेश, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 407 (अ), तारीख 22 जून, 1977, का० आ० 410(अ), तारीख 26 जून, 1978 और का० आ० 465 (अ) तारीख 26 जून, 1980 द्वारा 26 जून, 1981 तक, जिसमे यह दिन भी सम्मिलित है चार वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रखा गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

अत. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 26 दिसम्बर, 1981 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[फा०सं० 2(18)/80-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th June, 1981

S.O. 513(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445(E)|18AA|IDRA|72, dated the 23rd June, 1972 the management of the whole of the Industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam, had been taken over by the authorised person mentioned in the said order for a period of five years upto and inclusive of the 26th June, 1977 and the said order is continued to have effect for a further period of four years upto and inclusive of the 26th June, 1981, by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department- of Industrial Development) No. S.O. 407(E), dated the 22nd June 1977, S.O. 410(E), dated the 26th June, 1978 and S.O. 465(E), dated the 26th June 1980;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking should continue for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 26th December, 1981.

[File No. 2(18)/80-CUS]

का० आ० 514 (अ)—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग २, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 जून, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 445 (अ)/18कक/आई० डी० आर० ए०/72 द्वारा आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम नामक औद्योगिक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का सम्पूर्ण प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन 27 जून, 1972 से आरम्भ होने वाली और 26 जून 1977 तक जिसमें 26 जून, 1977 भी सम्मिलित है, 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ग्रहण किया था ,

और उक्त आदेश की अवधि को 26 दिसम्बर 1981 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, समय समय पर विस्तार किया गया था

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 624 (अ)/18च ख/आई० डी० आर० ए०/ तारीख 25 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, संपत्ति के हस्तांतरण पत्र करार समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखतों का, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, प्रवर्तन 24 सितम्बर, 1973 तक निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व इसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व, 24 सितम्बर 1973 तक निलंबित रहेंगे ,

और उक्त आदेश की अवधि 26 जून, 1981 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, समय-समय पर बढाई गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात् वैज्ञानिक यंत्र उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से साधारण जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि सभी प्रवृत्त संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों और अन्य लिखतों का, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो 25 सितम्बर, 1972 के ठीक पूर्व उसको लागू हो, प्रवर्तन निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व इसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलंबित रहेंगे । यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 26 सितम्बर, 1981 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा ।

[फाइल सं० 2(18)/80-सी० यू० (एस)]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

S.O. 514(E).—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445(E) 18AA|IDRA|72, dated the 23rd June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 27th June 1972, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company, Limited, Machilipatnam (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) had been taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the 27th June, 1972 upto and inclusive of the 26th June 1977,

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto and inclusive of the 26th December, 1981

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 624(E)|18FB|IDRA|72, dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette shall remain suspended upto the 24th September 1973, and that all the rights, privileges obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973 ,

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto and inclusive of the 26th June, 1981 ,

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely the scientific instruments industry,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1), read with sub section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before 25th September, 1972, shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended

This order shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette upto and inclusive of the 26th December, 1981

[F. No. 2(18)/80 CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981